तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील जीसीएमएस नम्बर 2024/50 रामप्रताप बनाम राज. सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.09.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील अपीलान्टस ने दो प्रार्थना पत्र बाबत अपील विड्रो करने हेतु धारा 151 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र धर्मीराम मीणा की ओर से नोट प्रेस किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। वकील अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र बाबत अपील विड्रो करने हेतु धारा 151 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र धर्मीराम मीणा की ओर से नोट प्रेस करने के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलांट के द्वारा दिनांक 04.06.2024 को उक्त अपील पेश की गई उक्त अपील एडमिट की गई। उक्त अपील सहवन से श्रीमान न्यायालय के समक्ष पेश हो गई थी। यह विधिक अनभिज्ञता एवं तथ्य की त्रुटि होने के कारण क्षम्य युक्त है। प्रार्थी अपीलार्थी को अपने अधिकारों को सुरक्षित रखते हुये उक्त अपील को विड्रो करने की अनुमति देने की आज्ञा प्रदान करें। धर्मी राजकीय सेवा में होने के कारण न्यायालय श्रीमान के समक्ष हाजिर होने में असमर्थ है। उक्त प्रकरण को जरिये अधिवक्ता विड्रो करने की अनुमति प्रदान करें। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है अपीलार्थीगणों को उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपने अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए अपील को विड्रो की अनुमति देने का आदेश फरमाये। हमने अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि अपीलार्थी स्वंय ही उक्त अपील में कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अब इस अपील को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। वकील अपीलांट द्वारा अपीलांट्स के प्रार्थना पत्र को पहचान के रूप में सत्यापित किया गया है। अतः अपीलार्थीगण का प्रा. पत्र अपील विड्रो किये जाने स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण स्वंय अपील विड्रो किये जाने के कारण अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर पूर्ति लेख भण्डार हो। (दीप्ति कछवाहा) अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	